

8-11-21 को पेश किया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)

8-11-21

MRP-390 / गैरसाधन के बकील 390 /
गैरसाधन के बकील ने साक्षिणी गरीब
का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो
शाखिल पत्रावली नम्बर 100 / पत्रावली
में श्रेय साक्षिणी गरीब नम्बर 100
पत्रावली दिनांक 13-12-21 को पेश किया

804-804
11-11-21

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)

13-12-21

MRP-390 / गैरसाधन का बकील 390
आधिकारिक उपायपत्रकारों की वृद्ध
हुकी गरीब आधिकारिक उपायपत्रकारों
के कवनों पर गौर किया गया पत्रावली
का क्रमबद्ध किया गया गैरसाधन
कलकी 2 सिंह 510 साक्षिणी गरीब
जानक सिन्हा रावत के बिक्री यात्रा
आधिकारिक उपायपत्रकार भरतपुर जिले
पुलिस अधीक्षक भरतपुर इस्तराफत
अन्तर्गत न्याय 3 राजस्थान गुण
विधेय का अधिविनियम 1975 दिनांक
23-2-2012 को पेश किया गया जिसके
गैरसाधन के बिक्री मुकदमा नम्बर

जयदीप सिंह

By

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
भरतपुर (राज.)
19-20/3778

नम्बर
अहकाम
हुकम
में जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

५५/०८, १११/०८, ३५/०९, २००/०९ एवं २३१/०९
 सभी प्रकरण आरजीपी डी एम के अन्तर्गत
 इशारे किये जा चुके हैं तथा उक्त मुकदमों में
 सक्षम न्यायालय द्वारा गैर सक्षम पर
 १००-१०० के जुर्माने लगाये जाते हैं
 भी उल्लेख किया गया है गैर सक्षम
 के चाल-चलन के संबंध में संबंधित
 पाना उद्योग नगर से प्राप्त रिपोर्ट में
 अंकित किया गया है कि वर्ष २०१६ के
 बाद गैर सक्षम के विकट कोई प्रकरण/
 परिणाम दर्ज नहीं हुआ है वर्तमान में
 गैर सक्षम का परिणाम सही होना
 रिपोर्ट में अंकित किया है इत्यादि
 के अंकित मुकदमान वर्ष २००८ व २००९
 के हैं जिनमें गैर सक्षम के जुर्माने
 दक्षित किया जाना बताया गया है
 पत्रावली के वर्ष २००९ के बाद आज
 तक ऐसा कोई इस्लामेन्ती साक्ष्य नहीं
 है, किन्तु कि गैर सक्षम के विकट
 वर्तमान में भी कुछ शर्त अपराधिक
 धारा में किया गया कुछ साक्ष्य
 होना है।

पाना उद्योग नगर मरुपुर से
 प्राप्त रिपोर्ट में गैर सक्षम के विकट
 वर्ष २०१६ के बाद कोई प्रकरण पंजीकृत
 नहीं है, चाल-चलन सही होना
 बताया जाते हैं का आधार पर प्रकरण
 को उच्च स्तर पर खारिज किया
 जाय है पत्रावली के सल मुकाम होकर
 बाद द्वारा साक्ष्य दस्तावेज हैं।